न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 162/2011

सायलान :- बनाम गै0सा0 :-

1. राजेश पुत्र गुदइराम
2. अशोक पुत्र बद्रीलाल
3. केवलराम पुत्र प्याराराम
4. ननूराम पुत्र धेवरराम
5. आदूराम पुत्र धेवरराम
6. जबरचंद पुत्र धेवरराम

जातियान-साद, निवासी-लितरीया
तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

1. श्री अम्बे माईन्स एण्ड मिनरल प्रोपराईटर तुलसीराम पुत्र कंवरीलाल जाति-साद निवासी-लितरिया, तहसील-जैतारण
2. स्हायक अभियन्ता खनिज एवं भू-विज्ञान विभाग, सोजतसिटी तहसील-सोजतसिटी, जिला-पाली
3. निदेशक खनिज एवं भू-विज्ञान विभाग, हिरण मगरी उदयपुर

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू: 13/09/2011

उपस्थितः- 1. श्री जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, सायलान।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, गै0सा0।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 01/07/2015

वकील मय सायलान ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-लितरिया, तहसील-जैतारण में सायलान की खातेदारी एंव कब्जे काश्त की शामलाती पैतृक पुश्तैनी जमीन खसरा नम्बर 284/2 रकबा 11-11 बीघा किस्म चा0दो0, खसरा नम्बर 284/1 रकबा 10-04 बीघा किस्म चा0दो0, खसरा नम्बर 287 रकबा 01-04 बीघा किस्म चा0दो0 की आई हुई हैं। उपरोक्त भूमि पर सायलान व अन्य सह काश्तकार का मौके पर वक्त सैटलमेन्ट से शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। लेकिन राजस्व रेकर्ड में मुतनाजा भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किया हुआ नही हैं। वर्तमान में उक्त भूमि में फसल बोई हुई हैं। उक्त मुतनाजा भूमि की जमाबन्दी की नकल प्रार्थना पत्र के साथ पेश की हैं, जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावें। गैरसायल संख्या एक ने बाले बाले मुतनाजा भूमि में चाईना क्ले लीज कराने बाबत गैरसायल संख्या दो के कार्यालय में आवेदन जमा करवाया। जबकि गैरसायल संख्या एक का मुतनाजा भूमि में कोई हक, हिस्सा,अधिकार नही हैं। गैरसायल संख्या एक ने ग्राम-लितरिया में सायलान को ऐलानिया कहा कि इस वर्ष उक्त मुतनाजा भूमि में काश्त कर लो अगले वर्ष मुतनाजा भूमि में चाईना क्ले खुदाई का काम करेंगे। क्योंकि हमने मुतनाजा भूमि बाबत काश्तकारों से सहमती पत्र लेकर माईनिंग विभाग में लीज के लिए आवेदन जमा करवा दिया हैं। उक्त आवेदन गेर सायल संख्या दो ने आवेदन स्वीकृत के लिए गैरसायल संख्या तीन निदेशक खनिज एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर के कार्यालय में भिजवा दिया हैं। तब सायलान को गैरसायल संख्या एक द्वारा आवंटन लीज करवाने बाबत ज्ञात हुआ। सायलान स्वयं गैरसायल संख्या -दो के

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

कार्यालय में जाकर कहा कि उक्त मुतनाजा भूमि हमारी खातेदारी की हैं, जिस पर गैरसायल संख्या एक का कोई हक, हिस्सा व अधिकार नही हैं और न सायलान ने माईन्स के लिए लीज बाबत् सहमति पत्र दिया। गैरसायल संख्या एक ने सायलान व सह काश्तकार व सह काश्तकार के सहमति पत्र फर्जी हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान लगाकर गैरसायल संख्या-दो के कार्यालय में पेश किये हैं, जो गलत हैं। फर्जी सहमति पत्र के आधर पर यदि मुतनाजा भूमि पर चाईना क्ले निकालने के लिए माईन्स विभाग से गैरसायल संख्या एक ने अपने नाम लीज आवंटन करवा ली, तो गैरसायल संख्या एक ने मोके पर से जबरदस्ती सायलान को बेदखल कर देगा तथा सायलान के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करेगा, जिससे सायलान अपने जायज अधिकारों से वंचित रह जायेंगे, जिससे विविध प्रकार की पेचिदगिया बढेगी। मौके पर जमीन अपने अपने हिस्से माफिक बंटी हुई हैं, जिस पर खनन नही किया जा सकता हैं। सायलान के हिस्से की भूमि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा-जैतारण में रहन रखी हुई है। गैरसायल संख्या एक गैरसायल संख्या दो व तीन के साथ साठ गांठ कर बाले बाले मुतनाजा जमीन में से बिना सहमति पत्र चाईना क्ले निकालना चाहता है एवं फर्जी सहमति के आधर पर उक्त मुतनाजा भूमि पर भी लीज आवंटन करवाना चाहता हैं, जो गलत हैं। जिसको जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाना जरूरी हैं एवं गैरसायल संख्या एक द्वारा बाले-बाले मतनाजा भूमि पर माईन्स कराने बाबत सायलान के फर्जी हस्ताक्षर व अंगुष्ठ करके सहमति पत्र तैयार कर गैरसायल संख्या दो के कार्यालय में पेश किये है। जिसके आधार पर गैरसायल संख्या दो के गैरसायल संख्या तीन निदेशक खनिज एवं भू विज्ञान विभाग, उदयपुर के कार्यालय में आवेदन पत्र के भेजने का ऐलानिया कहते हैं। इसलिए सायलान की खातेदारी भूमि पर चाईना क्ले निकालने की स्वीकृति नही दी जा सकती हैं, न ही फर्जी सहमति पत्र के अधार पर लीज आवंटन की जा सकती हैं, जिसको जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावें। सायलान ने गैरसायल सख्या दो के कार्यालय में गैरसायल संख्या एक ने लीज आवंटन बाबत आवेदन किया उसकी लिस्ट प्राप्त की, जिसमें गैरसायल संख्या एक का नाम अंकित हैं। इसलिए गेर सायल संख्या एक को पक्षकार बनाया गया है। उक्त मुतनाजा भूमि सायलान की पैतृक पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की होने से प्रथम दृष्टिया केस सायलान के पक्ष में बहुत ही मजबूत हैं व मोके पर वर्तमान में सायलान का कब्जा काश्त होने व मौके पर फसल खड़ी होने से सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में बखूबी साबित हैं। यदि गैरसायलान नाजायज रूप से सायलान के फर्जी हस्ताक्षर/अंगूठा निशान कर माईनिंग विभाग में सहमति पत्र पेश कर मुतनाजा भूमि की लीज आवंटन करवा देंगे, तो सायलान अपने जायज अधिकारों से वंचित रह जायेंगे। सायलान उक्त मुतनाजा भूमि में काश्त नही कर सकेंगे सायलान के परिवार के भूखे मरने की नौबत आ जायेगी, सायलान को असीम नुक्शान होगा, जिसकी क्षतिपूर्ति गैर सायलान किसी भी सूरत में अदा नहीं कर सकेंगे। इसलिए गैर सायलान को सायलान के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने व उक्त भूमि को लीज आवंटन करवाने से जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक है।

सायलान का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। गै0सा0 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-काणेचा में पेश हुई। वकील गै0सा0 को जबाब पेश करने का समय दिया गया। बार-बार समय दिये जाने

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

के बावजूद जबाब पेश नहीं करने से जबाब बन्द किया जाता हैं। सायलान के पक्ष में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 13/09/2011 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो चुकी हैं। जिसे वाद निर्णय तक पुख्ता किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं कि सरहद मौजा–लितरिया, तहसील–जैतारण में सायलान की खातेदारी एंव कब्जे काश्त की शामलाती पैतृक पुश्तैनी जमीन खसरा नम्बर 284/2 रकबा 11–11 बीघा किस्म चा0दो0, खसरा नम्बर 284/1 रकबा 10–04 बीघा किस्म चा0दो0, खसरा नम्बर 287 रकबा 01–04 बीघा किस्म चा0दो0 सायलान के कब्जे काश्त की भूमि में गै0सा0 को दिनांक 13/09/2011 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका गया था। जिसे वाद निर्णय तक पुख्ता किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 01/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–काणेचा पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner